छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 02 /वि.स./संपदा/2015 रायपुर, दिनांक 10.7.2015

//विधानसभा भवन का मॉडल बनाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण सूचना//

छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर स्थित मुख्य भवन एवं अन्य भवनों को सम्मिलित कर मॉडल तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित/स्थापित फर्म/एजेंसी/कलाकारों से दिनांक 01 अगस्त, 2015 को सायं 4:00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । निविदा की विस्तृत शर्तें/जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

किसी भी अथवा समस्त प्रस्तावों को अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रमुख सचिव, विधान सभा को होगा ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

-: निविदा की शर्तें / जानकारी :-

1. प्रस्तावकर्ता को विधानसभा के सम्पूर्ण भवनों का मॉडल तैयार करना होगा । मॉडल का भार अधिक न हो इस हेतु उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना होगा ।

2. प्रस्तावकर्ता द्वारा लकड़ी/प्लास्टर ऑफ पेरिस/पी0व्ही0सी0 शीट अलग-अलग सामग्री से मॉडल तैयार करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है । जिस सामग्री से मॉडल तैयार किया जाएगा, उस हेतु पृथक-पृथक प्रस्ताव, जिसमें मॉडल का अनुमानित वजन, आकार व मॉडल तैयार करने के समय का उल्लेख प्रस्ताव में देना अनिवार्य होगा ।

3. प्रस्तावकर्ता द्वारा पृथक बंद लिफाफे में मॉडल की लागत का प्रस्ताव देना होगा . पृथक-पृथक सामग्री से तैयार किए जाने वाले मॉडल हेतु मॉडल की लागत का पृथक-पृथक उल्लेख करना होगा .

4. आवश्यकता पड़ने पर मॉडल को लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली में स्थापित करने का कार्य करना होगा . इस हेतु अलग से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

5. मॉडल में प्रदर्शित सभी भवन समानुपातिक, व्यवस्थित एवं वास्तविक प्रतीत होने चाहिए ।

6. प्रस्तावकर्ता को मॉडल का पॉवर पाइंट प्रेजेन्टेशन सचिवालय में प्रस्तुत करना होगा तथा सी0डी0 भी जमा करनी होगी । इस हेतु किसी राशि का भुगतान विधानसभा सचिवालय द्वारा नहीं किया जाएगा ।

7. प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मान्य होने की दशा में प्रस्तुत दर की 10 प्रतिशत राशि की एफ0डी0 अमानत राशि के रूप मे विधानसभा सचिवालय में जमा करनी होगी ।

8. प्रस्तावकर्ता को पूर्व में उनके द्वारा किये गए कार्यो का विवरण, फोटो तथा कार्य आदेश की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति आदि प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

9. विधानसभा परिसर स्थित भवनों का अवलोकन हेतु उप सचिव, संपदा शाखा से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क किया जा सकता है ।

निरंतर ....

10. मॉडल समय पर तथा गुणवत्तायुक्त नहीं होने की स्थिति में अमानत राशि के रूप में जमा राशि राजसात की जा सकेगी ।

11. किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर का होगा ।

प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर